न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **62/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री नन्द किशोर कुमावत निवासी फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां
—अपीलार्थी		**—प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 06/09/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 10.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 674113 दिनांक 06.06.2017 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06/06/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 12/07/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/विविध/सू.अधि./2017/265 दिनांक 05.07.2017 से अपीलार्थी को सूचना भिजवाने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2017 को प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अपूर्ण होने के सम्बन्ध में उपस्थित होकर प्रा0पत्र प्रस्तुत किया। इस पर अपीलार्थी को वांछित सूचना की प्रति वक्त सुनवाई दिनांक 06.09.2017 को प्राप्त कर ली जाने से आदेशिका में अपील खारिज किए जाने का अंकन किया।

अतएव अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दिए जाने से उक्त अपील सारहीन होने से अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा